Ph:01681:245872 Fax:245179 e.mail:jinddccb@yahoo.com, cbsjind.haryana@gmail.com

CO-OP दी जीन्द केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,जीन्द
मुख्य कार्यालय

दी जीन्द केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,जीन्द का हरियाणा राज्य के गठन के समय संगरूर केन्द्रीय सहकारी बैंक से अलग होकर 1 नवम्बर 1966 को अस्तित्व मे आया । बैंक का मुख्य कार्यालय Bays No. 1 to 4, District Shopping Centre, Urban Estate Jind मे स्थित है तथा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लाईसैन्स प्राप्त कर के समस्त जिला जीन्द मे अपनी 33 शाखाओ के माध्यम से बैंकिग कार्य रहा है तथा 31 पैक्सों के माध्यम से जिला जीन्द के सभी किसानो को खाद,बीज,दवाई की ऋण सुविधा प्रदान कर के उनके सामाजिक आर्थिक जीवन मे सहयोग कर रहा है । इस बैंक द्वारा जिला जीन्द मे अपने ग्राहको को निम्न स्कीमो/योजनाओ का लाभ दिया जा रहा है जिस का विवरण निम्नप्रकार से है :–

1– **प्रधान मन्त्री सुरक्षा बीमा योजना** :–

उद्देश्यः– 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के सभी खाताधारकों को मु0 200000/– रू0 तक का दुर्घटना बीमा कम से कम प्रीमीयम पर उपलब्ध करवा कर खाताधारक के परिवार को उसकी मृत्यु उपरान्त राहत प्रदान करवाना ।

पात्रताः– बैंक के 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी खाताधारक जिन्हें एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके देने होंगे तथा उनके खाते से हर वर्ष मु0 12/– रू0 प्रीमियम के रूप में काटे जायेंगे । इसके अतिरिक्त ग्राहक का उक्त खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है ।

2– **प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना** :–

उद्देश्यः– 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के सभी खाताधारकों को मु0 200000/– रू0 तक का जीवन बीमा कम से कम प्रीमीयम पर उपलब्ध करवा कर खाताधारक के परिवार को उसकी मृत्यु उपरान्त राहत प्रदान करवाना

पात्रता:– बैंक के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी खाताधारक जिन्हें एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके देने होंगे तथा उनके खाते से हर वर्ष मु0 330/– रू0 प्रीमियम के रूप में काटे जायेंगे । इसके अतिरिक्त ग्राहक का उक्त खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है ।

3– **अटल पैन्शन योजना** :–

उद्देश्यः– व्यक्तियों को अपने उत्पादक जीवन के दौरान छोटी–छोटी बचत करके अपने बुढापे में जीवन यापन के लिए पैन्शन की सुविधा उपलब्ध करवाना जिससे वे अपने बुढापे में मु0 1000/– से 5000/– रू0 तक की पैन्शन ता उम्र प्राप्त कर सकें ।

पात्रता:– बैंक के 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी खाताधारक जिन्हें एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके देने होंगे तथा उनके खाते से हर माह मु0 42/– से 1454/– रू0 तक अंशदान के रूप में काटे जायेंगे इसके अतिरिक्त ग्राहक का उक्त खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है । ग्राहक से उक्त अंशदान 60 वर्ष तक की आयु तक लिया जायेगा ।

4– **सामाजिक सुरक्षा पैन्शन का वितरण** :–

समाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत दी जाने वाली पैन्शन के लगभग 30000 लाभार्थियों को पैन्शन वितरण इस बैंक की विभिन्न शाखाओं तथा पैक्सों के माध्यम से किया जा रहा है ।

जारी/–

5– डायरैक्ट बैनीफीट ट्रांसफर :–

भारत सरकार/हरियाणा सरकार की विभिन्न डायरैक्ट बैनीफीट सेवायें जैसे एलपीजी गैस सब्सिडी, मनरेगा की राशि की अदायगी करना, स्कूली छात्रों के वजीफे, तथा अन्य किसी भी प्रकार की डी0बी0टी0 की राशि की अदायगी सम्बन्धित व्यक्ति के खाते के माध्यम से इस बैंक की सभी 33 शाखाओं के माध्यम से की जा रही है ।

6– सभी के लिए बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध करवाना

बैंक अपनी 33 शाखाओं के माध्यम से लगभग 1,75000 खाताधारको को बैकिंग सुविधाए उपलब्ध करवा रहा है बैंक अपने ग्राहको को RTGS/NEFT,DBT,SMS Alert ,CBS आदि की सुविधा उपलब्ध करवा कर उन्हे वित्तीय समावेशन के अर्न्तगत लाने के लिए प्रयास कर रहा है ।

7– रूपे डेबिट कार्ड/रूपे किसान कार्ड।

8– एस.एम.एस. अलर्ट।

महाप्रबन्धक,
दी जीन्द केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,जीन्द